**संख्या- 3/2017-आर0जी0- 623 /दस-2017-39/14**

**प्रेषक,**

**अनूप चन्द्र पाण्डेय**
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

**सेवा में,**

**समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
**उत्तर प्रदेश शासन ।**

**वित्त संसाधन(सामान्य) अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक :19 मई, 2017**

**विषय-: प्रदेश के संसाधनों में वृद्वि/बचत के सम्बन्ध में ।**

**महोदय,**

मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमण्डल के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को वित्त विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान संसाधनों में वृद्वि/बचत के कतिपय बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में प्रदेश के सभी विभाग निम्नानुसार छः बिन्दुओं पर सतत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:-

1. केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में जिन योजनाओं में केन्द्राशं की निर्धारित धनराशि प्राप्त नही हुई है, उनके कारणों की विभागीय मंत्री के स्तर से समीक्षा करते हुये केन्द्राशं कम प्राप्त होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाये ।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त करने हेतु तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को समय से भेजे जाय, जिससे इन योजनाओं हेतु शत-प्रतिशत केन्द्राशं प्राप्त हो सके। संबंधित विभागों द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों में केन्द्रांश की समय से अवमुक्ति कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय ।
3. समान प्रकार की कई योजनायें राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों के द्वारा संचालित की जाती है, जिन्हें यथासम्भव केन्द्र सरकार की योजना से ही संचालित किया जाना चाहिये, जिससे योजना का व्यय भार राज्य के संसाधनों पर कम किया जा सके ।
4. लाभार्थी परक सभी योजनाओं में लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता डी0बी0टी0/ पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाये ।
5. निर्मित भवनों की शत-प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही यथावश्यकता नया निर्माण कराया जाये।
6. यथासम्भव परियोजनाओं का बार-बार परीक्षण न कराया जाय तथा प्रथम बार में स्वीकृत धनराशि से ही कार्य पूर्ण कराया जाय ।

**भवदीय,**

**(अनूप चन्द्र पाण्डेय)**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in